कार्यालय जिला पंचायत सहारनपुर

पत्रांक 417 /जि0प0/मानचित्र/2018–19 दिनांक 19-6-19

अनुज्ञा–पत्र

श्री [illegible]
[illegible] ....
नि0 [illegible] .... सहारनपुर

विषय– जनपद सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13/05/19 के कम में विषयांकित भवन के निर्माण हेतु खसरा/खतौनी संख्या 371/372 M स्थित ग्राम [illegible] .... तहसील [illegible] जिला सहारनपुर मे निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृत करते हुए निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1–यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष तक ही वैध माना जायेगा। तीन माह के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा उसके बाद अवधि बढाने का आवेदन पत्र उपविधियों के अनुरूप दिया जा सकता है किन्तु अवधि एक वर्ष से अधिक न हो सकेगी।

2–प्रस्तावित भू–खण्ड पर शासकीय निकाय, जैसे नगर पालिका परिषद,टाउन एरिया, विकास प्राधिकरण व अन्य किसी के स्वामित्व तथा क्षेत्र मे होने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा ऐसी स्थिति मे स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

3–भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

4–यदि भविष्य मे विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय निर्धारित किया जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

5–बिजली की लाईन से 5 फुट की दूरी तक कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं निर्माण कार्य में इण्डियन इलैक्टीसिटी नियमो का पालन किया जाये।

6–भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नही होना चाहिए तथा जनसामान्य को भी असुविधा न हो।

7–भवन निर्माण में नेशनल बिल्डींग कोई/आई0एस0डी0कोर्ड का पालन करना होगा एवं भूकम्प रोधी व्यवस्थाये करते हुए निर्माण करना होगा व आवश्यक प्रमाण–पत्र लेना होगा। निर्माण के समय बताये गये आवश्यक परिवर्तन करने अनिवार्य होगें।

8–सडक पर कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नही बनाये जायेगें।

9–आपके द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था उचित प्रकार से स्वयं करनी होगी तथा आवश्यकतानुसार रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा।

10–यदि किसी विभाग की कोई अन्य देनदारी आती है तो वह संस्था को स्वयं अदा करनी होगी।

11–ऐयर पोर्ट आथरिटि ऑफ इण्डिया से आवश्यकतानुसार उनके नियमो एवं शर्तो के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

12–भवन निर्माण आवश्यकतानुसार योग्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट की देख–रेख में कराया जायेगा तथा संरचना एवं विशिष्टियों(स्पेसिफिकेशन) की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी। एन0बी0सी0 के प्राविधानो की पूर्ति तक मानचित्र संशोधित कर निर्माण किया जा सकता है।

निरन्तर–2

13–निर्माण कार्य करते समय आर्किटेक्ट/नक्शानविश द्वारा प्रस्तुत मानचित्र मे दशार्ये गये विवरणो के अतिरिक्त अन्य जरूरी बिल्डिंग उपनियम (जिला पंचायत व सहारनपुर विकास प्राधिकरण) के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

14–विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कवर्ड एरिया,एफ0ए0आर0 बिना विभाग की पूर्व अनुमति के नही बढाये जायेगें। भवन मार्ग से आवश्यक दूरी छोडकर बनाया जायेगा।

15–कार्य शुरू करने पर एवं पूर्ण होने पर 5 दिन के अन्दर विभाग को सूचित करना होगा।

16–पार्किग की समूचित व्यवस्था करनी होगी।

17–भवन निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था के पास जिला पंचायत,सहारनपुर व ठेकेदारी लाईसेन्य होना अनिवार्य होगा।

18–प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानको को आवश्यकतानुसार पूर्ण करना होगा तथा एन0ओ0सी0 प्राप्त करना होगा।

19–राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय व अन्य मार्गो के मध्य से जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो वह दूरी छोडकर ही निर्माण करना होगा।

20–नदी,नालो,राजबाहो आदि से सिचाई विभाग के मानको के अनुरूप निर्धारित दूरी छोडकर निर्माण करना होगा।

21–किसी भी व्यवसाय के सम्बन्ध में जिला पंचायत,सहारनपुर का लाईसेन्य व टैक्स अलग से अदा करना होगा।

22–जिला पंचायत,सहारनपुर की उक्त विषयक उपविधियो का अक्षरसः अनुपालन करना होगा किसी भी उपनियम/प्रतिबन्ध का उल्लंघन पाये जाने या किसी शिकायत के सही पाये जाने पर मानचित्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

23–श्रम विभाग से सम्बन्धित उपकर (सेस) निर्माण के सापेक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार जमा करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सहारनपुर

पृ0सं0 व दिनांक–उक्त।

प्रतिलिपि–

1–क्षेत्रीय अवर अभियन्ता,जिला पंचायत,सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कराने हेतु समय–समय पर निरीक्षण करें।

2–अभियन्ता,जिला पंचायत,सहारनपुर को इस आशय से कि भ्रमण के दौरान स्वयं भी निरीक्षण करे।

3–सहायक श्रम आयुक्त,श्रम विभाग,सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,सहारनपुर

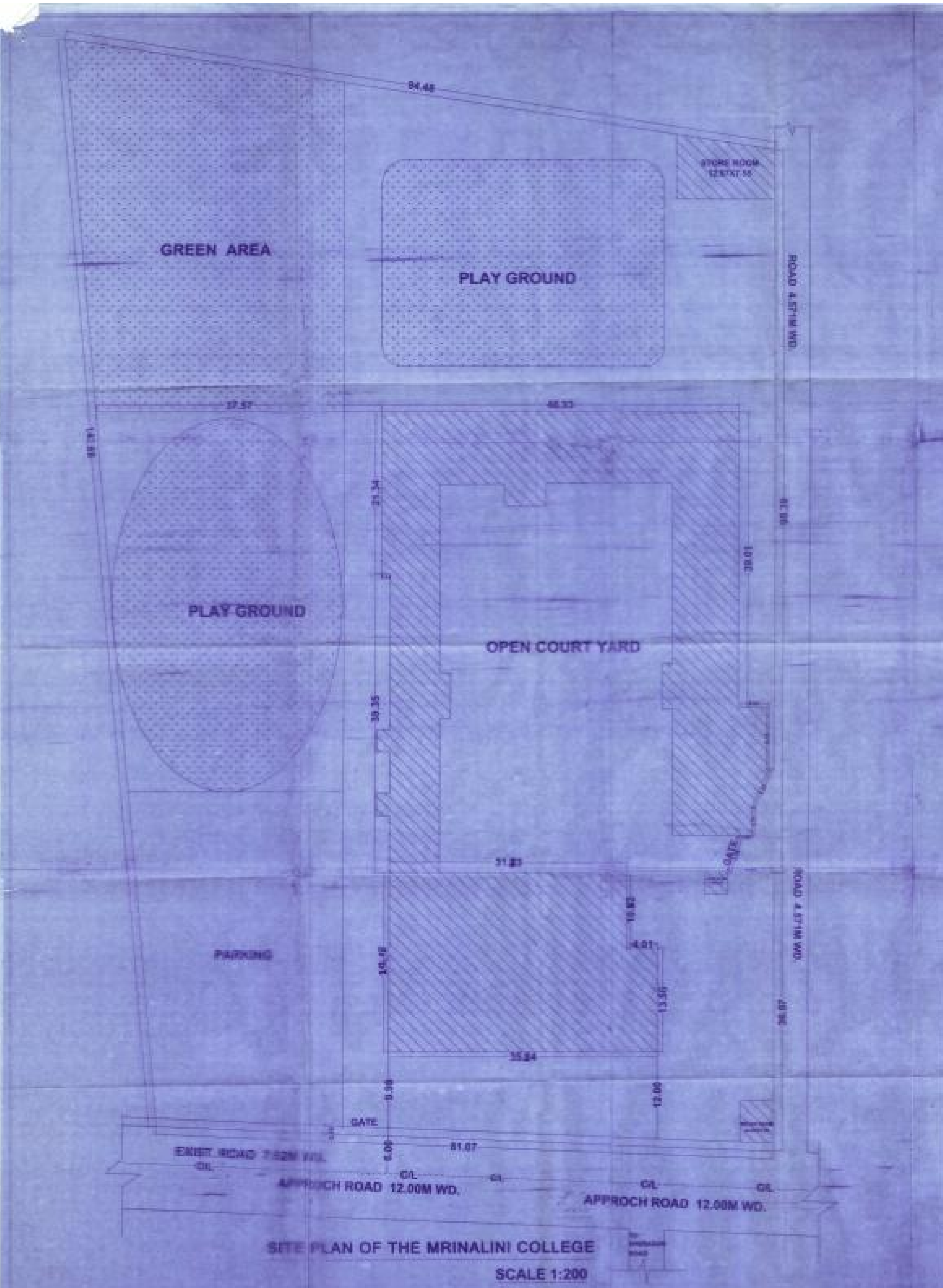

SITE PLAN OF THE MRINALINI COLLEGE

SCALE 1:200

FILE NO.-

FOR OFFICE USE ONLY

EXISTING & PROP. COLLAGE BUILDING PLAN OF THE MRINALINI COLLEGE SITUATED AT KH. NO. 371 & 372 (MIN.) WAKE VILLAGE HARORA MUSTKAM, GAGALHERI SAHARANPUR (U.P.)

DETAILS OF AREA'S IN SQMT.

TOTAL PLOT AREA	= 11767.00 SQM
EXIST. G.F. COVAREA (EDUCATION BLOCK)	= 1269.76 SQM
EXIST. F.F. COVAREA (EDUCATION BLOCK)	= 1269.76 SQM
EXIST. F.F. COVAREA (EDUCATION BLOCK)	= 1269.76 SQM
TOTAL COV. AREA (EDUCATION BLOCK)	= 3809.28 SQM
EXIST. G.F. COVAREA (PHARMA BLOCK)	= 808.64 SQM
PROP. F.F. COVAREA (PHARMA BLOCK)	= 808.64 SQM
PROP. S.F. COVAREA (PHARMA BLOCK)	= 808.64 SQM
TOTAL COV. AREA (PHARMA BLOCK)	= 2425.92 SQM
OPEN AREA	= 9688.60 SQM
BOUNDARY WALL	= 414.62 RMT

Note :- Drawings have been prepared as per instructions of the client and ownership details provided by them to us. Whole responsibility lies with the client to prove their genuineness. All care has been taken to see no error or mistake is made while preparing drawing. If any mistake is found out, then Architect must be contacted and be informed about it immediately.

DETAILS OF DOOR & WIND.

D =[illegible]	W =[illegible]
D1 =[illegible]	W1 =[illegible]
D2 =[illegible]	W2 =[illegible]

APP. SIGN. | ARCHITECT SIGN.

NOTIYAL & ASSOCIATES
OFFICE : 30-31 IST FLOOR PAWAN BELA MARKET
OPP. L.T.O COURT ROAD SAHARANPUR
Email: [illegible]
MOB: [illegible]

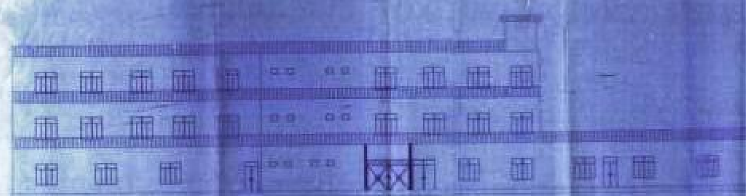

FRONT ELEVATION OF THE MRINALINI
COLLEGE EDUCATION BLOC

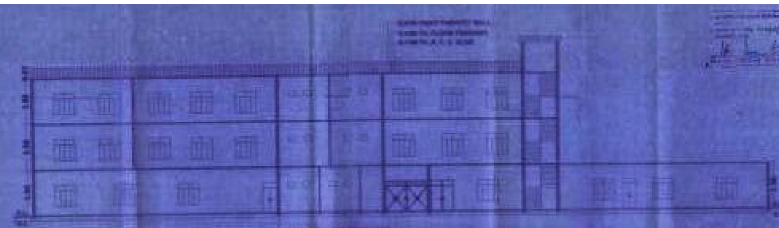

SECTION AT A'-B' OF THE MRINALINI
COLLEGE EDUCATION BLOCK

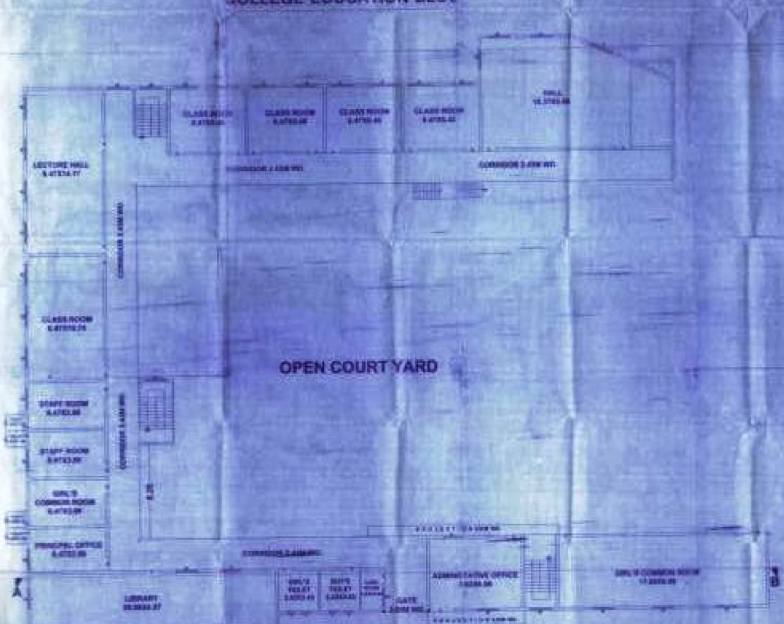

EXIST. G. F. PLAN OF THE MRINALINI
COLLEGE EDUCATION BLOCK

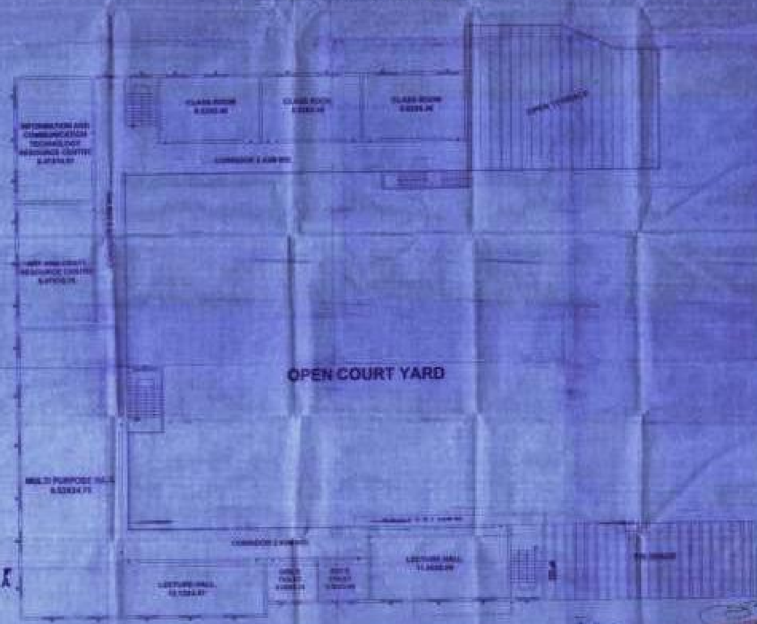

EXIST. F. F. PLAN THE MRINALINI
COLLEGE EDUCATION BLOCK